

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

नम्बर:-117/2018 प्रार्थना पत्र
रुकमा देवी पत्नि मीठूसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
प्रार्थीया

बनाम
मति कस्तूरी देवी पत्नि ईश्वर राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
भूरा पिता जस्सा गाडरी, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-30.01.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-
अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला
हल्का मालोला भू-अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी
761/1 रकबा 10 बिस्वा, 762/4 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 762/5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा
किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित
जात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काशत की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के
आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे
की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का
पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये
विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल
किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 3 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को कितनी
बा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 23.1.2019
क तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक
बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व
काशत की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काशत करते समय, फसल
समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं
काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में
रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला भू-अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील
जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 761/1 रकबा 10 बिस्वा, 762/4 रकबा 1 बीघा 6
762/5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि की सीमा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लेख निरीक्षक, सांगानेर को 500/-रूपये (पाँच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर किये जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर न की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, डा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा